



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-Section (II)

प्रतिष्ठापित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 264]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 30, 1992/वैशाख 10, 1914

No. 264] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 1992/VAISAKHA 10, 1914

इस भाग में निम्न एक संख्या की जाती है जिससे कि यह भाग संकलन के रूप में
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(संघ, उद्योग, कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग)

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1992

भाग का भा. 304(अ) - कर्मचारी बोर्ड (कारबार का संयवहार कर्मचारियों की सेवा शर्तों और लेखों का रख-रखाव) उपनियम, 1955 के
सावधानित्व कर्मचारी बोर्ड अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी बोर्ड
(सेवा) उपनियम, 1983 में संशोधन करने हेतु कर्मचारी बोर्ड द्वारा बनाए गये तथा केन्द्र सरकार द्वारा पृष्ठ किये गये निम्नलिखित
उपनियमों को उक्त अधिनियम की धारा 27 की उप धारा के अधीन यथा अपेक्षित प्रकाशित किया जाता है:-

(i) इन उपनियमों को कर्मचारी बोर्ड (सेवा) तीसरा (संशोधन) उपनियम, 1992 कहा जाएगा।

(ii) ये उपनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

1067 GI/92/10/1

(1)

Attested
Rmmr

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
Asstt. Controller (Business)

भारत सरकार

Govt. of India

प्रकाशन विभाग

Department of Publication

सिविल लाइन्स, नई दिल्ली

Civil Lines, New Delhi

18-7-2000

2. कयर बोर्ड (सेवा) उपनियम, 1983 की अनुसूची में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, नामतः :—

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा चयने-तर पद है	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7
शोरूम प्रबंधक, ग्रेड - I	3* (1990)	"क"	रुपये 2200-75-2800-इ. रो.-100-4000	चयन	40 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय की डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता और साथ में विपणन कार्य का 10 वर्ष का अनुभव।
शोरूम प्रबंधक ग्रेड - II	7* (1990)	"ख"	रुपये 2000-60-2300-इ. रो.-75-3200	चयन	35 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय की डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता और साथ में विपणन कार्य का 5 वर्ष का अनुभव।
शोरूम प्रबंधक ग्रेड - III	14* (1990)	"ग"	रुपये 1400-40-1800-इ. रो.-50-2300	चयनेतर	35 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय की डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता के साथ विपणन कार्य में दो वर्ष का अनुभव।

*कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तनीय

पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यताएं	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा डेपुटेशन/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/डेपुटेशन/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की जाएगी तो किम ग्रेड से पदोन्नति/डेपुटेशन/स्थानान्तरण होगा।
8	9	10
मेट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष योग्यता के साथ प्रबंधक पदोन्नति द्वारा ऐसा ना हो सकने पर सीधे भर्ती ग्रेड - 2 के रूप में 5 वर्ष का अनुभव		शोरूम प्रबंधक ग्रेड - 2
मेट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष योग्यता के साथ प्रबंधक ग्रेड - 3 के रूप में 3 वर्ष का अनुभव।	पदोन्नति द्वारा ऐसा ना हो सकने पर सीधे भर्ती	शोरूम प्रबंधक, ग्रेड - 3
मेट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष योग्यता के साथ कयर बोर्ड के शोरूम के कम से कम 3 वर्ष का अनुभव	पदोन्नति द्वारा ऐसा ना हो सकने पर सीधे भर्ती	सहायक शोरूम प्रबंधक/उच्च श्रेणी निमित्त

टिप्पणी :- प्रधान उपनियम का. प्रा. सं. 4481 दिनांक 25 नवम्बर, 1983 द्वारा अधिसूचित किये गये थे और निम्नलिखित का. प्रा. द्वारा उनमें संशोधन किये गये थे— का. प्रा. सं. 4893 दिनांक 19 अक्टूबर, 1985, का. प्रा. सं. 187(अ); दिनांक 11 मार्च, 1989, का. प्रा. सं. 900(अ) दिनांक 2 नवम्बर, 1989, का. प्रा. सं. 5(अ) दिनांक 2 जनवरी, 1990 और का. प्रा. सं. 460 (अ) दिनांक 6 जून, 1990।

(का. सं. 6/3/89-टीएर)

एस. बी. महापात्र, संयुक्त सचिव

Attested
R. M.सहायक नियंत्रक (वाणिज्य),
Asstt. Controller (Business)

भारत सरकार

Govt of India

प्रकाशन विभाग

Department of Publication

सिविल लाइन्स, दिल्ली

Civil Lines, Delhi

VS
18-7-2000

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Small Scale Industries & Agro and Rural Industries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 1992

S.O. 304(E).—The following bye-laws made by the Coir Board, in exercise of the powers conferred by section 27 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953) read with bye-laws 15 of the Coir Board (Transaction of Business, conditions of Service of Employees and Maintenance of Accounts) Bye-laws, 1955, further to amend the Coir Board (Services) Bye-laws, 1983 and confirmed by the Central Government, are hereby published as required by sub-section of section 27 of the Said Act, namely:—

1. (i) These bye-laws may be called the Coir Board (Services) Third Amendment Bye-laws, 1992.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Schedule to the Coir Board (Services) Bye-laws, 1983, the following shall be, added, namely:—

SCHEDULE

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Showroom Manager, Grade I	3* (1990)	'A'	Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000	Selection	40 years	Degree of a recognised University or equivalent with 10 years experience in Marketing.
Showroom Manager Grade II	7* (1990)	'B'	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200	Selection	35 years	Degree of a recognised University or equivalent with 5 years experience in Marketing.
Showroom Manager, Grade III	14* (1990)	'C'	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300	Non-Selection	35 years	Degree of a recognised University or, equivalent with two years experience in Marketing.

*Subject to variation dependent on work load.

Minimum qualifications for promotion	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.
8	9	10
Matriculation or equivalent with 5 year's experience as Manager, Grade-II.	Promotion failing which by direct rectt.	Showroom Manager, Grade-II.
Matriculation or equivalent with 3 year's experience as Manager Grade-III.	Promotion failing which by direct rectt.	Showroom Manager, Grade-III.
Matriculation or equivalent with atleast 3 years' experience in a showroom of the Coir Board.	Promotion failing which by direct rectt.	Assistant Showroom Manager/Upper Division Clerk

Note : The principal bye-laws were notified vide S.O. No. 4481 dated the 25th November, 1983 and have been amended by S.O. No. 4393 dated the 19th October, 1985, S.O. No. 187(E) dated the 11th March, 1989, S.O. No. 900(E) dated 2nd November, 1989, S.O. No. 5(E) dated the 2nd January, 1990 and S.O. No. 460(E) dated the 6th June, 1990.

[F. No. 6(3)/89-Coir.]

S. B. MOHAPATRA, Jr. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992

Attested
Rsmr

सहायक नियंत्रक (वित्त)

Asstt. Controller (Business)

भारत सरकार

Govt. of India

प्रकाशन विभाग

Department of Publications

प्रिन्टिंग हाउस, दिल्ली

Printed at the Govt. Press, Delhi